राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 573/2014/अलवर

सहायक आयुक्त,
वाणिज्यिक कर,
वृत–बी, भिवाडी, अलवर। .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स मित्तल एन्टरप्राइजेज,
फेस–I, भिवाडी, अलवर। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ कैम्प जयपुर
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह,
उपराजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी विभाग की ओर से

श्री ओ.पी.गुप्ता,
अभिभाषक ..... प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से

निर्णय दिनांक : 16/06/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर , अलवर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 239/आरवेट/2012–13/उपा/अपील्स/अलवर में पारित आदेश दिनांक 13.09.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, वृत–बी, भिवाडी (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.01.2013 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 58 के तहत् आरोपित कुल शास्ति रूपये 24,500/– को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सशक्त अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी का वर्ष 2010–11 का कर निर्धारण दिनांक 30.01.2013 को पारित किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी की वर्ष 2009–10 की सकल टर्नओवर 80 लाख से अधिक होने के पश्चात् भी उनके द्वारा प्रथम रिटर्न को इलेक्ट्रॉनिकली के स्थान पर मेन्यूवली प्रस्तुत किया। इस बाबत् सशक्त अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर रिटर्न को कर निर्धारण के समय तक अप्राप्त मानते हुए रूपये 100/– प्रतिदिन के अनुसार शास्ति रूपये 24,500/– आरोपित की गई। सशक्त अधिकारी के उक्त पारित आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 13.09.2013 द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी–राजस्व द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

लगातार.....2

4. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए, उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी–व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रथम तिमाही का रिटर्न मैन्यूवली जमा करवाया था एवं राज्य सरकार के परिपत्र संख्या **[F.120(Insp.)(Instruction)Tax/CCT/10/607] दिनांक 08.07.2013 TUD Vol 36 Part 5 (19)** के अनुसार वर्ष 2010–11 के बाद से ई–रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य नहीं था। इस आधार पर उन्होंने सशक्त अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को अविधिक बताते हुए अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन कर विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया, एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रथम तिमाही का रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली के स्थान पर मेन्यूवली प्रस्तुत कर दिया गया था। जिसे संबंधित कार्यालय में स्वीकार भी किया गया था। अपीलीय अधिकारी ने भी इस बात का उल्लेख अपने आदेश में स्पष्ट रूप से कर रखा है। अतः प्रस्तुत अपील में अपीलीय अधिकारी ने आदेश पारित करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है।

7. फलतः अपीलार्थी–विभाग द्वारा प्रस्तुत यह अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष